न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

मिसल संख्या – 113/2022 निर्णय दिनांक :– 26/5/2022

उनवानी प्रार्थना पत्र –

1. जगदीश पुत्र लादू जाति धाकड निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0
2. महावीर पुत्र लादू जाति धाकड निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0
3. मोहनलाल पुत्र लादू जाति धाकड निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0
4. सुखलाल पुत्र लादू जाति धाकड निवासी चांदली तहसील देवली जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार देवली जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार **आराजी खाता संख्या 153 खसरा नम्बर 45 रकबा 0.13 है0** वाके ग्राम चांदली तहसील देवली जिला टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है व पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नही है।

अतः जमाबंदी संवत् 2074–77 में अंकित **आराजी खाता संख्या 153 खसरा नम्बर 45 रकबा 0.13 है0** वाके ग्राम चांदली तहसील देवली जिला टोंक, की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार देवली को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000/– रू0 निर्धारित की जाकर एतदद्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली